**संख्या:740/2023/2073/35-4-2023/001-35-4099/103/2023**

प्रेषक,

राम प्रीत राम,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
चन्दौली।

नियोजन अनुभाग-4 लखनऊ दिनांक: 28 जुलाई,2023

विषय: त्वरित आर्थिक विकास योजनांतर्गत स्वीकृत कार्य का नाम संशोधित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि त्वरित आर्थिक विकास योजनांतर्गत जनपद चन्दौली में नियोजन अनुभाग-4 के शासनादेश सं0-435/2023/1101/35-4-2023, दिनांक 28 मार्च, 2023 द्वारा स्वीकृत कार्यों में से क्रमांक-7 पर अंकित कार्य का नाम "**सदर ब्लाक सिकरी माईनर रोड से मोहन चौहान के घर से होते हुए लालबहादुर बियार के घर तक रोड निर्माण** (इण्टरलाकिंग) पढ़ा जाय। उक्त सन्दर्भित शासनादेश इस सीमा तक संशोधित समझा जाय। शासनादेश की अन्य शर्तें यथावत रहेंगी।

भवदीय,

(राम प्रीत राम)
उप सचिव।

**संख्या:740/2023/2073(1)/35-4-2023/001-35-4099/103/2023**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, प्रयागराज।
3- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, लोक निर्माण/ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग
4- अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं वित्त आयुक्त।
5- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0।
6- निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी।
7- मण्डलायुक्त, वाराणसी मण्डल।
8- निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, लखनऊ।
9- मुख्य विकास अधिकारी, चन्दौली।
10- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, चन्दौली।
11- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5
12- जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, चन्दौली।
13- अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, चन्दौली।
14- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(राम प्रीत राम)
उप सचिव।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in